संख्या-366/2017/2274/22-2-2016-17(126)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी किशोरी लाल पुत्र श्री फूलचन्द्र निवासी जनपद-महोबा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43967/पर-2 सलाहकार समिति/ (एम0-13-12-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी किशोरी लाल पुत्र श्री फूलचन्द्र, निवासी-ग्राम-बन्धान वार्ड नयापुरा, थाना-महोबा कोतवाली, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बन्दी व उसका 01 सहअभियुक्त दिनांक 20.06.1989 को रात्रि लगभग 10:05 बजे श्रीमती हल्की के घर में घुसे तथा उसकी चांदी की सुतिया गले से उतारने लगे। शोर मचाने पर बन्दी ने अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर रूमाल में पत्थर लपेटकर तथा सिर पर वार कर श्रीमती हल्की की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-254/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 394, 411 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0, हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.07.1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2016 तक 27 वर्ष 05 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 35 वर्ष 10 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु लगभग 53 वर्ष है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महोबा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0), हमीरपुर द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर घर में घुसकर अत्यन्त निर्दयता के साथ 01 महिला की नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी किशोरी लाल पुत्र श्री फूलचन्द्र को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी किशोरी लाल (बन्दी संख्या-7380/98) पुत्र श्री फूलचन्द्र, निवासी जनपद-महोबा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-366/2017/2274(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।